

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त, 2018-श्रावण 19, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैंने अपना नाम दीपक शंखवार एवं शाक्यवार से बदलकर नया नाम दीपक शाक्य रख लिया है. अतः मुझे सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरे नये नाम दीपक शाक्य के नाम से ही जाना व पहचाना एवं उपयोग किया जाये.

पुराना नाम :

(दीपक शंखवार/शाक्यवार)

नया नाम :

(दीपक शाक्य)

पुत्र स्व. श्री नारायण शाक्य,
नया बाजार, इन्द्रा कॉलोनी,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(362-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, विकास अग्रवाल आ. स्व. प्रमोद गुप्ता, उम्र 34 वर्ष लगभग, निवासी म. नं. 20, अनंतारा रेजीडेंसी तिलहरी, जबलपुर मध्यप्रदेश शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि .—

1. यहकि मैं उपरोक्त पते पर स्थाई रूप से निवासी हूँ.
2. यहकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम विकास गुप्ता पिता श्री प्रमोद गुप्ता अंकित है.
3. यहकि मैं, अपने उपरोक्त वर्णित नाम को परिवर्तित कर अपना नाम विकास गुप्ता के स्थान पर विकास अग्रवाल करना चाहता हूँ.
4. यहकि आज दिनांक से मुझे मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम विकास अग्रवाल पढ़ा-लिखा एवं जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(विकास गुप्ता)

नया नाम :

(विकास अग्रवाल)

(365-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैंने अपनी पुत्री का नाम Ku. Aadhya Shrivastava से बदलकर नया नाम Ku. Vanshika Shrivastav रख लिया है. अतः सभी शासकीय, अर्धशासकीय कर्षों एवं दस्तावेजों में मेरी पुत्री को उसके नये नाम Ku. Vanshika Shrivastav से ही जाना एवं पहचाना जाये.

(360-बी.)

सूचनाकर्ता-

गौरव श्रीवास्तव,

J-1040, दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर,

ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरी पुत्री का नाम कु. आंशी बंसल पुत्री श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल था. अब बदलकर कु. आंशी अग्रवाल पुत्री श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल कर लिया है. अब भविष्य में मेरी पुत्री को आंशी अग्रवाल के नाम से जाना एवं पहचानी जायेगी.

(361-बी.)

सतीश चन्द्र अग्रवाल,

सी/66, हरिशंकरपुरम, लशकर,

ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा घर का नाम जॉय (JOY) कम्पान है. जबकि मेरा सही एवं स्कूल का नाम अमल कम्पान है. अतः सभी जगह जॉय की जगह अमल कम्पान ही पढ़ा जावे. मेरे आधार कार्ड तथा बैंक पास बुक में मेरा नाम अमल कम्पान ही लिखा है. जो कि सही है. सर्व-साधारण सूचित हों.

पुराना नाम :

(जॉय)

नया नाम :

(अमल कम्पान)

पता-डी-51, विनय नगर सेक्टर-3,

लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(363-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चिराग साहनी पुत्र श्री नवीन साहनी अभी मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम चिराग साहनी दर्ज है. अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर मयंक साहनी रख लिया है.

अतः मुझे भविष्य में अब मयंक साहनी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(चिराग साहनी)

पुत्र श्री नवीन साहनी.

नया नाम :

(मयंक साहनी)

पुत्र श्री नवीन साहनी,

पता-समाधिया कॉलोनी गेट के पास,

तारागंज, लशकर, ग्वालियर-474001.

(364-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम लखन नामदेव था जोकि अब बदलकर लखन सिंह पंवार हो गया है. अतः अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(लखन नामदेव)

नया नाम :

(लखन सिंह पंवार)

202, संस्कार कोरीडोर पालिया रोड,

इन्दौर.

(366-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अवयस्क पुत्री अंशिका नामदेव का नाम बदलकर अर्पिता नामदेव (ARPITA NAMDEO) रख लिया है तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर ली है. अतः आज दिनांक से मेरी पुत्री को अर्पिता नामदेव (ARPITA NAMDEO) के नाम से जाना-पहचाना जावे. सो विदित हों.

(367-बी.)

विमलेश नामदेव,279-बी, सिलीकॉन सिटी, निहालपुर मुण्डी,
इन्दौर (म.प्र.).**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, आशू रॉय (Aashu Roy) पुत्र श्री मुकेश सविता, व्यवसाय-प्राइवेट नौकरी, निवासी-वार्ड क्रमांक 32, महावीरगंज, भिण्ड, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश उक्त पते पर निवासरत् हूँ. मेरे द्वारा अपने नाम एवं उपनाम में उक्त परिवर्तन कर पूर्व नाम आशू सविता (Ashu Savita) के स्थान पर नवीन नाम (Aashu Roy) से किया गया है तथा अब मुझे नवीन नाम आशू रॉय (Aashu Roy) के नाम से जाना व पहिचाना जाता है. इसलिये मुझे इस सूचना के उपरांत भविष्य में मुझे आशू रॉय (Aashu Roy) के नाम से जाना व पहिचाना एवं सम्बोधित किया जाये तथा मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों वोटरकार्ड, पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम आशू सविता (Ashu Savita) के स्थान पर आशू रॉय (Aashu Roy) के नाम से अंकित कर विधिवत् परिवर्तन कार्यवाही की जावे. तदानुसार सूचित हो.

पुराना नाम :
(आशू सविता)

नया नाम :

(आशू रॉय)

पुत्र श्री मुकेश सविता,
निवासी-वार्ड क्रमांक 32, महावीरगंज,
भिण्ड, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(368-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, आदित्य रघुवंशी पिता राजकुमार पटेल, निवासी म. नं. 1091, गुप्तेश्वर मंदिर के पास, गिरिराजकिशोर कपूर वार्ड जबलपुर का निवासी हूँ. हम क्षत्रिय पटेल हैं. इसलिये कहीं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम आदित्य पटेल दर्ज है. मेरा सही नाम आदित्य रघुवंशी है. आधार कार्ड में भी यही नाम दर्ज है. अतः मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम आदित्य रघुवंशी, पढ़ा, लिखा जावे.

पुराना नाम :
(आदित्य पटेल)नया नाम :
(आदित्य रघुवंशी)

(369-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, दिनेश वर्मा पिता श्री गजानंद वर्मा, निवासी ग्राम रायबिडपुरा, तह. व जिला खरगौन मैं अपनी पत्नी तथा अपनी संतानों के लिए अपने उपनाम वर्मा के स्थान पर अपनी जाति गुर्जर सामाजिक व्यवस्था अनुसार मेरा नाम दिनेश गुर्जर हो गया है व वर्तमान में मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ. मेरे द्वारा सम्पादित समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी अभिलेखों में मेरा नाम दिनेश वर्मा, शासकीय सेवक अध्यापक युनिक आईडी AD5905 माध्यमिक विद्यालय महुगांव डाईस कोड 23270205901, विकासखण्ड सेगांव, जिला खरगौन (म.प्र.) में सेवारत हूँ. अब मुझे दिनेश वर्मा के स्थान पर दिनेश गुर्जर के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(दिनेश वर्मा)नया नाम :
(दिनेश गुर्जर)पिता श्री गजानंद,
ग्राम-रायबिडपुरा, तह. व जिला खरगौन.

(370-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, प्रशांत राव, आयु 26 वर्ष, पिता डी तुलसाराव, व्यवसाय नौकरी, निवासी मकान नम्बर बी-137, पोस्ट ऑफिस के पास, सेक्टर 01, वार्ड नंबर 03, नेपालगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश मेरा नाम उपनाम जन्म प्रमाण-पत्रों में "प्रशांत पिता डी तुलसाराव" लिखा गया है,

तथा स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के प्रमाणपत्रों में मेरा नाम डी प्रशांत पिता डी तुलसाराव है, तथा मेरे कॉलेज के अंकसूची एवं डिग्री में मेरा नाम “प्रशांत राव पिता डी तुलसाराव” है परंतु मैं मेरा नाम कॉलेज के डिग्रियों के अनुसार “प्रशांत राव पिता डी तुलसाराव” लिखना चाहता हूँ तथा इसी नाम का उपयोग शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य सभी जगह करूंगा, तथा मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये। मैं पूर्व में जो हस्ताक्षर करता था वही हस्ताक्षर वर्तमान में भी करता हूँ।

पुराना नाम :

(डी प्रशांत)

पिता डी तुलसाराव.

(371-बी.)

नया नाम :

(प्रशांत राव)

पिता डी तुलसाराव.

उप-नाम परिवर्तन

मैं, प्रतिक राव पिता डी तुलसाराव, आयु 20 वर्ष, व्यवसाय विद्यार्थी, निवासी मकान नम्बर बी-137, पोस्ट ऑफिस के पास, सेक्टर 01, वार्ड नंबर 03, नेपानगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश मेरा नाम उपनाम जन्म प्रमाण-पत्र एवं कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के अंकसूचियों में मेरा नाम डी प्रतिक पिता डी तुलसाराव उल्लेखित है, मेरे कॉलेज के अंकसूचियों में मेरा नाम “प्रतिक पिता तुलसाराव डी उल्लेखित है, परंतु मैं मेरा नाम प्रतिक राव पिता तुलसाराव लिखना चाहता हूँ तथा इसी नाम का उपयोग शासकीय अर्द्धशासकीय एवं अन्य सभी जगह करूंगा तथा मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये। मैं पूर्व में जो हस्ताक्षर करता था वही हस्ताक्षर वर्तमान में भी करता हूँ।

पुराना नाम :

(डी प्रतिक)

पिता डी तुलसाराव.

(372-बी.)

नया नाम :

(प्रतिक राव)

पिता डी तुलसाराव.

नाम परिवर्तन

मेरा वर्तमान में नाम राजू नागौरी पिता अब्दुल रजाक नागौरी, निवास ग्राम कढ़ाई, महिदपुर है। मैंने अपना नाम राजू से बदलकर मोहम्मद इरफान रख लिया है। अब मुझे मोहम्मद इरफान के नाम से पढ़ा हुआ जाना जाये।

पुराना नाम :

(राजू नागौरी)

(373-बी.)

नया नाम :

(मोहम्मद इरफान)

ग्राम कढ़ाई महिदपुर,
जिला उज्जैन (म.प्र.)

CHANGE OF NAME

I, Hina Dongre D/o Shri Ramesh Dongre and W/o Avinash Pathe (married on 07-05-2017) have changed my name to HINA AVINASH PATHE after marriage vide Affidavit Dtd. 19-05-2018 sworn before Notary Sunita Bhadoriya, Bhopal.

Henceforth I will be known as HINA AVINASH PATHE only, in all Governemnt, Semi-Government, Non-government and any other Sectors.

Old Name:

(HINA DONGRE)

(374-B.)

New Name :

(HINA AVINASH PATHE)

W/o Avinash Pathe,
Adress—Flat No. 1/3, F Type,
Mandi Board Residential Building,
Zone-2, Maharana Pratap Nagar,
Bhopal (M.P.) Pin-462011.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती नव्या तलरेजा सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह दिनांक 27-04-2016 को सिंधी रीति-रिवाज के अनुसार श्री हितेश तलरेजा के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के पूर्व मेरा नाम कु. मोनिका कालानी पुत्री श्री सुरेश कुमार कालानी था जो कि विवाह के पूर्व के सभी दस्तावेज जैसे-अंकसूची, प्रमाण-पत्र इत्यादि शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में दर्ज है। सिंधी रीति-रिवाज के अनुसार विवाह उपरांत मेरा नाम

श्रीमती नव्या तलरेजा पत्नि श्री हितेश तलरेजा हो गया है. वर्तमान में मैं इसी नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा हस्ताक्षर करती हूँ, भविष्य में भी मैं इसी नाम से अर्थात् श्रीमती नव्या तलरेजा पत्नी श्री हितेश तलरेजा के नाम से ही पहचानी जाऊँगी साथ ही मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्र आदि में मेरा नाम श्रीमती नव्या तलरेजा पत्नी श्री हितेश तलरेजा अंकित किया जावे, सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(कृ. मोनिका कालानी)

पुत्री श्री सुरेश कुमार कालानी.

नया नाम :

(नव्या तलरेजा)पत्नि श्री हितेश तलरेजा,
बी-हरे कृष्णा अपार्टमेन्ट,
हरीशंकरपुरम, ग्वालियर.

(375-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम बालचन्द्र सौराष्ट्रीय है. जिसमें उपनाम सौराष्ट्रीय है. जिसे बदलकर जलवाय कर दिया गया है. अब मुझे भविष्य में बालचन्द्र सौराष्ट्रीय के स्थान पर बालचन्द्र जलवाय के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(बालचन्द्र सौराष्ट्रीय)

नया नाम :

(बालचन्द्र जलवाय)ग्रा.उ.वि.अधि. वि. ख. मो. बडोदिया,
जिला शाजापुर.

निवासी ग्राम बेरछा, तह. व जिला शाजापुर (म.प्र.).

(376-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I, Dipti Verma W/o Mr. Manu Verma R/o 17/3, Manoramaganj Street No. 3, Indore (M.P.) change my name and shall hereafter known as Dipti Arora.

Old Name:

(DIPTI VERMA)

New Name :

(DIPTI ARORA)Add :-17/3, Manoramaganj,
Street No. 3, Indore (M.P.).

(378-B.)

CHANGE OF SURNAME

I, Aditi Verma W/o Mr. Ravi Verma R/o 17/3, Manoramaganj Street No. 3, Indore (M.P.) change my name and shall hereafter known as Aditi Arora.

Old Name:

(ADITI VERMA)

New Name :

(ADITI ARORA)Add :-17/3, Manoramaganj,
Street No. 3, Indore (M.P.).

(379-B.)

CHANGE OF SURNAME

I, Manu Verma S/o Mr. Subhash Verma R/o 17/3, Manoramaganj Street No. 3, District Indore M.P. change my name and shall hereafter known as Manu Arora.

Old Name:

(MANU VERMA)

New Name :

(MANU ARORA)

(380-B.)

CHANGE OF SURNAME

I, Ravi Verma S/o Mr. Subhash Verma R/o 17/3, Manoramaganj Street No. 3, District Indore M.P. change my name and shall hereafter known as Ravi Arora.

Old Name:

(RAVI VERMA)

(381-B.)

New Name :

(RAVI ARORA)**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा बचपन में घर का नाम अमित पाल पुत्र श्री नेहरु पाल, निवासी जमबूरखाना, मामा का बाजार, लशकर, ग्वालियर था. लेकिन मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शैक्षणिक प्रपत्रों में मेरा नाम अभिषेक पाल पुत्र श्री नेहरु पाल अंकित है, जो कि मेरा प्रचलित नाम है तथा मुझे अभिषेक पाल के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है. मेरे सभी शासकीय अभिलेख जैसे-पेनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पास बुक, वोटर कार्ड, अंकसूचियों इत्यादि में मेरा नाम अभिषेक पाल अंकित है. अमित पाल एवं अभिषेक पाल एक ही व्यक्ति का नाम है, और मैं इसी नाम से ही वर्तमान एवं भविष्य में जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(अमित पाल)

(383-बी.)

नया नाम :

(अभिषेक पाल)

जमबूरखाना, मामा का बाजार,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

M/s Pragati India Construction Co. जो कि फर्म एवं संस्थाएं रीवा, संभाग रीवा में टी. सं. क्रमांक में/2502/98, दिनांक 01-03-1999 में रजिस्टर्ड है. फर्म के निम्न साझेदार द्वारा स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति दिनांक 31-03-2018 को ली गई.

For—M/s Pragati India Construction Co.

धर्मदास त्रिपाठी,

प्रेम नगर, प्रेम विहार कॉलोनी,
रीवा, सतना (म.प्र.).

(377-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स SUBH OXIDE, 1204 स्टेट बैंक कॉलोनी, हाथीताल, जबलपुर में स्थित है, जिसका फर्म रजिस्ट्रेशन क्रमांक 04/14/01/0236/16, सन् 2015-16 दिनांक 27 जनवरी, 2016 में रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटी, जबलपुर संभाग मध्यप्रदेश में दर्ज है. फर्म का नाम SUBH OXIDE में परिवर्तन कर SHUBH OXIDE किया जाना है. उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 20-07-2017 में परिवर्तन कर भागीदार क्रमांक (1) श्रीमती माया कनोडिया पत्नी श्री ज्ञानप्रसाद कनोडिया, (2) श्रीमती पूजा अग्रवाल पत्नी श्री अनूप अग्रवाल, (3) श्री गौरव कनोडिया पुत्र श्री ज्ञानप्रकाश कनोडिया स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं एवं दिनांक 28-07-2018 को भागीदार नाम (1) श्री अंकुर सूद पुत्र श्री ब्रजेंद्र कुमार सूद R/o 2396, C2 बसंत कुंज, नई दिल्ली, (2) आदित्य विक्रम अग्रवाल पुत्र श्री सुभाषचंद्र अग्रवाल R/o J-1, फरिस्ता कॉम्प्लेक्स, रायपुर को उपरोक्त दिनांक से फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया. भागीदारी फर्म में पूर्व भागीदार सदस्य यथावत रहेंगे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

M/s Shubh Oxide,

जसजीत सिंह वालिया,

(भागीदार)

जबलपुर.

(382-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 01 अगस्त, 2018

ई-निविदा सूचना

क्र.भ.-2/(साफ-सफाई)2018/1914.—शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर तथा लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार, ग्वालियर के सम्पूर्ण भवन (ऑफिस) एवं मुद्रणालय परिसर की साफ-सफाई, गमलों का रख-रखाव के साथ-साथ खाली रील कोर के गुटकों एवं रद्दी करतन एकत्रित कर सुव्यवस्थित रखने हेतु आई. टी. विभाग की वेबसाइट <http://www.mpeproc.gov.in> पर E-Tender से दरें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का तकनीकी भाग दिनांक 21 अगस्त, 2018 अपराह्न 03:00 बजे एवं कॉमर्शियल भाग दिनांक 21 अगस्त, 2018 को अपराह्न 04:30 बजे तक की-डेट्स अनुसार पंजीकृत फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. निविदा प्रपत्र (Tender Form) एवं शर्तें वेबसाइट <http://www.mpeproc.gov.in> पर देखा जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र राशि रुपये 250/- (कर अतिरिक्त) प्रोसोसिंग फीस जमा करने पर ही <http://www.mpeproc.gov.in> से Online क्रय किया जा सकता है।
4. समस्त पूर्तियां उपरांत E-Tender की हार्ड कॉपी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स (Key Dates) अनुसार जमा करना होगा। Online क्रय निविदा की Hard Copy "की-डेट्स" अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निविदाकार की अनुपस्थिति में उपस्थित हुये प्रतिनिधि को अधिकार-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. सूचना/संशोधन या सुधार की स्थिति में जानकारी आई.टी. की वेबसाइट <http://www.mpeproc.gov.in> एवं विभाग की वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

लॉरेन्स राबर्टसन,

उप नियंत्रक,

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,

ग्वालियर.

(843)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर, जिला इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अनुसार]

इंदौर यूनाईटेड राउड टेबल ट्रस्ट 107, श्रीवर्धन काम्पलेक्स 4 आर.एन.टी. मार्ग इंदौर तर्फे न्यासीकरण आवेदक श्री प्रतीक माहेश्वरी पिता के.पी. माहेश्वरी, 107 श्री वर्धन काम्पलेक्स 4 आर.एन.टी. मार्ग इंदौर द्वारा इन्दौर यूनाईटेड राउड टेबल ट्रस्ट, 107, श्रीवर्धन काम्पलेक्स 4, आर.एन.टी. मार्ग इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिवस) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावे अथवा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	इंदौर यूनाईटेड राउड टेबल ट्रस्ट.
पता	:	107, श्रीवर्धन काम्पलेक्स 4 आर.एन.टी. मार्ग इंदौर.
चल सम्पत्ति	:	11,000/-
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक..... जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(773)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अनुसार]

कुनाल शर्मा फाउंडेशन पता-जी-7, बाबा दीप काम्पलेक्स, अपोजिट रेल्वे सियागंज इंदौर तर्फे न्यासीकरण आवेदक सुनील शर्मा पिता श्री रामदास शर्मा पता-118 विजयनगर केशरबाग, इंदौर द्वारा कुनाल शर्मा फाउंडेशन पता-जी-7 बाबा दीप काम्पलेक्स अपोजिट रेल्वे सियागंज इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिवस) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावे अथवा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	कुनाल शर्मा फाउंडेशन.
पता	:	जी-7 बाबा दीप काम्पलेक्स, अपोजिट रेल्वे सियागंज इंदौर.
चल सम्पत्ति	:	51,000/-
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(774)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक श्रीमती कमलाबाई गोविंदराव धानापुने चेरीटेबल ट्रस्ट-11/1, स्नेहलतागंज इंदौर तर्फे न्यासीगण, आवेदक श्री विपिन पिता गोविंदराव धानापुने निवासी 11/1, स्नेहलतागंज मेनरोड, इंदौर द्वारा श्रीमती कमलाबाई गोविंदराव धानापुने चेरीटेबल ट्रस्ट-11/1, स्नेहलतागंज इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिवस) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावे अथवा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्रीमती कमलाबाई गोविंदराव धानापुने चेरीटेबल ट्रस्ट.
पता	:	11/1, स्नेहलतागंज इंदौर.
चल सम्पत्ति	:	11,000/- (अक्षरी ग्यारह हजार रुपये मात्र)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक.....जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(842)

सुनील कुमार झा,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट संयोगितागंज क्षेत्र, इन्दौर**फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, निवासी 57, महादेव तोतला नगर, भिचौली रोड इन्दौर द्वारा श्री दिगम्बर जैन सर्वोदय धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास पता उदय नगर इन्दौर 101, श्री मंगल नगर, बिचौली रोड, इन्दौर का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री दिगम्बर जैन सर्वोदय धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास”.
पता	:	उदय नगर इन्दौर 101, श्री मंगल नगर, बिचौली रोड, इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 11,10,732/- (अक्षरी ग्यारह लाख, दस हजार सात सौ बत्तीस मात्र) है.
अचल सम्पत्ति	:	1,32,52,965/- (अक्षरी एक करोड़, बत्तीस लाख, बावन हजार, नौ सौ पैसठ मात्र) है.

आज दिनांक 10 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

शालिनी श्रीवास्तव,
पंजीयक.

(775)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, मन्दसौर, जिला मंदसौर

प्र.क्र./बी-113/2017-18.

नियम-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष.

चूंकि श्रीकृष्ण ग्वाला (गवली) समाज मन्दसौर द्वारा प्यारेलाल पिता श्यामलालजी ग्वाला मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक..... को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः मैं, एस. एल. शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक.....को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा आपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं जिया जाएगा.

लोक न्यास का नाम : श्रीकृष्ण ग्वाला (गवली) समाज मन्दसौर.

संपत्ति का विवरण:-

(अ) अचल सम्पत्ति : नालछा माता मंदिर प.ह.नं. 24 स्थित सर्वे क्रमांक 251/मिन-1 रकबा 0.04 हे.

(ब) चल सम्पत्ति : निरंक.

(776)

प्र.क्र./03/बी-113(1)/2017-18.

नियम-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम,1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष.

चूँकि शिवान्द स्वामी विरक्त आश्रम साध्वी कावेरीबाई ग्राम रेवास देवड़ा तहसील व जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 17 अगस्त 2018 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः मैं, एस. एल. शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17 अगस्त 2018 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं जिया जाएगा.

लोक न्यास का नाम : शिवान्द स्वामी विरक्त आश्रम साध्वी कावेरीबाई ग्राम रेवास देवड़ा, तहसील व जिला मंदसौर मध्यप्रदेश.

संपत्ति का विवरण:-

(अ) अचल सम्पत्ति : निरंक.
(ब) चल सम्पत्ति : निरंक.

(841)

एस.एल.शाक्य,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नागदा, जिला उज्जैन

प्र.क्र./0002/बी-113(1)/2017-18.

प्रारूप क.4

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक नागदा, जिला उज्जैन के समक्ष.

यह कि श्री सुरेश जैन पिता सरदारमल जैन, निवासी 206, जवाहर मार्ग गली नं. 1, नागदा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 25-07-2018 को प्रातः 11:00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम : अक्षय धरा तीर्थ क्षेत्र श्री दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट, भीकमपुर.
लोक न्यास का कार्यालय : कार्यालय चिकित्सालय मार्ग, गली नंबर 02 नागदा.
लोक न्यास की चल सम्पत्ति : यूको बैंक, शाखा नागदा, खाता क्र. 04710110070390 में 4,70,529 रु. जमा.
लोक न्यास की अचल सम्पत्ति : निरंक.

(777)

रजनीश श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

अम्बालिका प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1489.—अम्बालिका प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/690, दिनांक 28 मार्च, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(778)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

रिषीकेश प्राथमिक उपभोक्ता सहाकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1490.—रिषीकेश प्राथमिक उपभोक्ता सहाकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/658, दिनांक 28 मार्च, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(779)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

भारतीय नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1491.— भारतीय नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/636, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 है। निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(780)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

स्वाती प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1492.—स्वाती प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/664, दिनांक 28 मार्च, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(781)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

अनुषा सद्भाव म.बहु. सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1493.—अनुषा सद्भाव म.बहु. सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/604, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(782)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

माँ गायत्री प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1494.—माँ गायत्री प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/553, दिनांक 11 जुलाई, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(783)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

बालाजी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1495.—बालाजी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., घाटीगांव जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/648, दिनांक 28 जनवरी, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(784)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

गंगोत्री प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1496.—गंगोत्री प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/687, दिनांक 28 मार्च, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(785)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

विद्युत मण्डल कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1497.—विद्युत मण्डल कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/489, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(786)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

दि भारतीय साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1498.—दि भारतीय साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/629, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(787)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

डबरा पशु पालन सहकारी संस्था मर्या., डबरा.

क्र./परि./2018/1499.—डबरा पशु पालन सहकारी संस्था मर्या., डबरा जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/....., दिनांक..... है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(788)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

जय अचलेश्वर प्राथ. उप.सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1500.—जय अचलेश्वर प्राथ. उप.सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/626, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(789)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

ऋतु साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1501.—ऋतु साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/589, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(790)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

नवीन महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1502.—नवीन महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/493, दिनांक 12 फरवरी, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(791)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

आदर्श महिला प्राथ. उप. सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1503.—आदर्श महिला प्राथ. उप. सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/608, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(792)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., मेहदपुर.

क्र./परि./2018/1504.—उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., मेहदपुर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/698, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(793)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

आदिवासी एवं पिछड़ावर्ग खनिज मजदूर सहकारी संस्था मर्या., बड़ागाँव.

क्र./परि./2018/1505.—आदिवासी एवं पिछड़ावर्ग खनिज मजदूर सहकारी संस्था मर्या., बड़ागाँव जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/699, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(794)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

आषी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1506.—आषी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/603, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 है निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(795)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स प्रोडक्ट एण्ड मार्केटिंग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1507.—इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स प्रोडक्ट एण्ड मार्केटिंग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/489, दिनांक 12 फरवरी, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(796)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

महामाया साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1508.—महामाया साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/576, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(797)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

श्री राम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., डबरा ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1509.—श्री राम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., डबरा ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/565, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(798)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

शिव शंकर प्राथ. उप. सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1510.—शिव शंकर प्राथ. उप. सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/678, दिनांक 28 मार्च, 2017 है निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(799)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

पूजा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1511.—पूजा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., आंतरी जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/623, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 है निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(800)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

चम्बल क्षेत्रीय साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1512.—चम्बल क्षेत्रीय साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/586, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 है। निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(801)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

सिन्धु खनिज सहकारी संस्था मर्या., गहारी.

क्र./परि./2018/1513.—सिन्धु खनिज सहकारी संस्था मर्या., गहारी जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/596, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(802)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

श्री गणेश क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1514.—श्री गणेश क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/646, दिनांक 02 जनवरी, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(803)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

शुभी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1515.—शुभी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/642, दिनांक 28 जनवरी, 2017 है। निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(804)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

गजापुर खनिज सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1516.—गजापुर खनिज सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/650, दिनांक 28 जनवरी, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(805)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

श्री गालव साख सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1517.—श्री गालव साख सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/491, दिनांक 12 फरवरी, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(806)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

ईशा महिला साख सहकारी संस्था मर्या, ग्वालियर.

क्र./परि/2018/1518.—ईशा महिला साख सहकारी संस्था मर्या, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/491, दिनांक 12 फरवरी, 2016 है। निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(807)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

बुलबुल हुसैन प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1519.—बुलबुल हुसैन प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/625, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(808)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

आलोकिक महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2018/1520.—आलोकिक महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/534, दिनांक 22 जून, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.

3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(809)

ग्वालियर, दिनांक 23 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

आदिवासी एवं पि.वर्ग मछली पालन सहकारी संस्था मर्या., ककटो बड़ागाँव.

क्र./परि/2018/1521.—आदिवासी एवं पि.वर्ग मछली पालन सहकारी संस्था मर्या., ककटो बड़ागाँव जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/501, दिनांक 12 फरवरी, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं.—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था की पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(810)

अनुभा सूद,
उप-पंजीयक.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, कृषि महाविद्यालय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेशों के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	कृषि महाविद्यालय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-बी-22, बख्तावर रामनगर, इन्दौर).	जे.आर/आय.डी.आर/263, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./18/218, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(811)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, साईनाथ परिवहन को-ऑपरेटिव यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	साईनाथ परिवहन को-ऑपरेटिव यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-1/2, प्रदीप अपार्टमेन्ट, पलसीकर कॉलोनी, इन्दौर).	1716, दिनांक 01-03-1995	क्र./पंजी./18/444, दिनांक 16-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(812)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, प्रेस्टिज साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत

रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	प्रेसिडज साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-30, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर).	1132, दिनांक 27-02-1992	क्र./पंजी./18/182, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(813)

पी. के. जैन,
सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिती.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, कशिश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	कशिश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-40, बी न्यु. गौरी नगर, इन्दौर).	जे. आर./आय. डी. आर. 195, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./18/216, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(814)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, ओम साईंराम साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय

समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	ओम साईराम साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-269, महाराणा प्रताप नगर, इन्दौर).	ए.आर./आय. डी. आर. 2467, दिनांक 24-11-2010	क्र./पंजी./18/184, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(815)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, माँ कालका यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित यातायात सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	माँ कालका यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-58, न्यु देवास रोड, इन्दौर).	ए.आर./आय. डी. आर. 558, दिनांक 03-02-1994	क्र./पंजी./18/446, दिनांक 16-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(816)

पी. सी. माहोरे,
सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिती.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, स्व. राजेश जोशी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी

को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	स्व. राजेश जोशी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-40/1, परदेशीपुरा, इन्दौर).	डी.आर./आय. डी. आर./242, दिनांक 05 सितम्बर, 2013	क्र./पंजी./18/232, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(817)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, माँ बिजासन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	माँ बिजासन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-62, रावजी बाजार, इन्दौर).	डी.आर./आय. डी. आर./1150, दिनांक 05 सितम्बर, 1992	क्र./पंजी./18/178, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे.

(818)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, रिलायबल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	रिलायबल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-13, सियागंज, इन्दौर).	डी.आर./आय. डी. आर./54, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./18/285, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के रजिस्ट्रीकरण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही मेरे हस्ताक्षर के एवं पदमुद्रा से मान्य किये जावेंगे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये संव्यवहार विधि अनुकूल न होकर प्रभाव शून्य होंगे।

एन. के. राठौर,

सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिती.

(819)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, सालासार जय बालाजी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	सालासार जय बालाजी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	261, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./18/233, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे।

(820)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, समता सहकारी प्रेस सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	समता सहकारी प्रेस सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	249, दिनांक 29 फरवरी, 1964	क्र./पंजी./18/454, दिनांक 16-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे।

पी. सी. सोलंकी,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(821)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, श्री साईं साख सहकारी संस्था मर्या., महू

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	श्री साईं साख सह. संस्था मर्या., महू, पता:- साईं परिसर 126, सिमरोल रोड, महू, जिला इन्दौर.	पंजी. क्र. 40, दिनांक 05-09-2013	क्र./गृह विधि/18/260, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(823)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, आधार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	आधार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पता-118-डी, स्किम नं. 51, संगम नगर, इन्दौर).	पंजी. क्र. 2519, दिनांक 02-02-2012	क्र./गृह विधि/18/298, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(824)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, कलसी ऑटो मोबाईल परिवहन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1)

के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	कलसी ऑटो मोबाईल परिवहन सह. संस्था मर्या., इन्दौर, पता:- 57, मैकेनिक नगर, इन्दौर).	पंजी. क्र. 157, दिनांक 05-09-2013	क्र./गृह विधि/18/442, दिनांक 16-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

के. एस. जमरा,

अंकेक्षण अधिकारी एवं समानुदेशिती.

(825)

कार्यालय समानुदेशिती, सहकारिता जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 24 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निर्माकित साख/यातायात सहकारी संस्थाओं के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत समानुदेशिती नियुक्त कर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	माँ उमिया साख सहकारी संस्था मर्या., 84/4 वल्लभ नगर, इन्दौर.	डी.आर./आय.डी.आर./2041, दिनांक 15 मई, 2001	क्र./पंजी./18/279, दिनांक 30-01-2018.
2.	श्री विनायक सहकारी साख संस्था मर्या., 118/1 आनंद नगर, चितावद, इन्दौर.	ए.आर./आय.डी.आर./187, दिनांक 05 सितम्बर, 2013	क्र./पंजी./18/203, दिनांक 19-02-2018.
3.	सत्यमित्र मर्केन्टाईल सहकारी साख संस्था मर्या., 112-ए वंशी ट्रेजर सेन्टर, आर. एस. भण्डारी मार्ग, इन्दौर.	ए.आर./आय.डी.आर./170, दिनांक 05 सितम्बर, 2013.	क्र./पंजी./18/225, दिनांक 19-02-2018.

अतः उक्त आदेशों के पालन में उल्लेखित संस्थाओं के संबंध में आज दिनांक 24 जून, 2018 को समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा करता हूँ. अतः उल्लेखित संस्थाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार इत्यादि मेरे अनुमोदन हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. मेरी बिना अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे. कृपया अवगत हों.

राजेश मालवीय,

उप अंकेक्षण एवं समानुदेशिती.

(826)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, यश ऑफ इंडियन सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण करने की सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निर्माकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख

दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	यश ऑफ इंडियन सहकारी साख संस्था मर्या., 9-10, आदर्श नगर, इन्दौर.	ए.आर./आय.डी.आर./2649 दिनांक 07-03-2014	क्र./पंजी/18/193, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(827)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, श्री व्यंकटेश सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण करने की सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	श्री व्यंकटेश सहकारी साख संस्था मर्या., बी-46, विद्या पैलेश, एरोड्रम रोड, इन्दौर.	जे.आर./आय.डी.आर./196 दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी/18/263, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(828)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, श्री शिव महालक्ष्मी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण करने की सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	श्री शिव महालक्ष्मी सहकारी साख संस्था मर्या., 448/6, नेहरु नगर, इन्दौर.	जे.आर./आय.डी.आर./197, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी/18/268, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(829)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, दि सिद्धेश्वर साख सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण करने की सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	दि सिद्धेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., पटेल मार्केट, खातीपुरा, मेन रोड, इन्दौर	डी.आर./आय.डी.आर./2170, दिनांक 11-02-2005	क्र./पंजी/18/307, दिनांक 01-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

कविता चावला,

अंकेक्षण अधिकारी एवं समानुदेशिती.

(830)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख/यातायात सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत समानुदेशिती नियुक्त कर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर, संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	माँ भुवनेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-633, साईं मंदिर के पास, भागीरथपुरा, इन्दौर.	डी.आर./आय.डी.आर./191, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी/18/275, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा करता हूँ. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार इत्यादि मेरे अनुमोदन हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. मेरी बिना अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे. कृपया अवगत हों.

(831)

कार्यालय समानुदेशिता, सहकारिता जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख/यातायात सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत समानुदेशिती नियुक्त कर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	जय झुलेलाल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, (पंजीकृत पता-612, चावला ट्रेड सेन्टर, सियागंज, इन्दौर.	ए.आर./आय.डी.आर./2476, दिनांक 22-09-2011	क्र./पंजी/18/314, दिनांक 01-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा करता हूँ अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार इत्यादि मेरे अनुमोदन हस्ताक्षर के बैगर नहीं किये जावे. मेरी बिना अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे. कृपया अवगत हों.

(832)

कार्यालय समानुदेशिता, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख/यातायात सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	शानेहिन्द साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, (पंजीकृत पता-खजराना, मेन रोड, इन्दौर).	डी.आर./आय.डी.आर./44, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी/18/199, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा करता हूँ अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार इत्यादि मेरे अनुमोदन हस्ताक्षर के बैगर नहीं किये जावे. मेरी बिना अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे. कृपया अवगत हों.

(833)

अनिल राय,

उप अंकेक्षक एवं समानुदेशिती.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, सेवक महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार ग्रहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख

दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	सेवक महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., 114 लाबरिया भेरु, इन्दौर.	पंजी. क्र. 1623, दिनांक 10-08-1994	आदेश क्र./पंजी/2018/223, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

ज्योति जोशी,

(834)

उप अंके. एवं समानुदेशिती सहकारिता.

कार्यालय समानुदेशिती, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निर्मांकित साख/यातायात सहकारी संस्थाओं के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत समानुदेशिती नियुक्त कर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक
1.	एम. ई. एस. कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पता मालरोड, महू.	डी.आर./आय.डी.आर./508, दिनांक 03-05-1977	क्र./पंजी./18/194(अ), दिनांक 19-01-2018
2.	ऊं विनायक साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पता 20-बी, स्वामी काम्पलेक्स मरीमाता चौराह, इन्दौर	ए.आर./आय.डी.आर./259, दिनांक 05-09-2013	क्र./पंजी./18/206(अ), दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेशों के पालन में उल्लेखित संस्थाओं के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती नियुक्ति की घोषणा करता हूँ. अतः उल्लेखित संस्थाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार इत्यादि मेरे अनुमोदन हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. मेरी बिना अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे. कृपया अवगत हों.

डी. पी. खरिया,

(835)

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं समानुदेशिती.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, इन्दौर नायर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निर्मांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी

को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	इन्दौर नायर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पता: एफ/92/11, लवकुश विहार, इन्दौर	पंजी. क्र. 1853, दिनांक 31-07-1997	क्र./गृह/विधि/18/311, दिनांक 01-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(836)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, शुभलाभ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निर्मांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	शुभलाभ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पता: 19-सी, कल्पकामधेनु नगर, वैलोसिटी टाकीज के सामने, इन्दौर.	डी.आर./आय.डी.आर./71, दिनांक 05-05-2013	क्र./गृह/विधि/18/197, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(837)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, बीसानीमा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निर्मांकित सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	बीसानीमा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पता: 416, महन्त काम्पलेक्स मल्हारगंज थाने के समाने इन्दौर.	पंजी. क्र. 257, दिनांक 05-09-2013	क्र./गृह/विधि/18/271, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

एफ. ए. खान,

(838)

सह. निरीक्षक एवं समानुदेशिती.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, भावना साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	भावना साख सहकारी संस्था 309, बख्ताबर रामनगर, इन्दौर.	1992/19-07-2000	क्र./पंजी./2018/300, दिनांक 01-02-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 01 फरवरी, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

(839)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, श्री लीलाशाह साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर संभाग इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	श्री लीलाशाह साख सहकारी संस्था मर्या., 57/2, लेयर हाऊस रोड, इन्दौर	50/05-09-2013	क्र./पंजी./2018/262, दिनांक 30-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 30 जनवरी, 2018 को शासकीय समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकूल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

एम. एस. चौहान,

(840)

अंके. अधि. एवं समानुदेशिती.

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती, जय अम्बे साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जून, 2018

पदभार गृहण सूचना

क्र./समा./18/क्यू.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा निम्नांकित साख सहकारी संस्था के सम्मुख

दर्शित आदेश के माध्यम से संस्था अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण समाप्त घोषित कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(2) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर निर्दिष्ट कार्यवाही पूर्ण कर समस्त तथ्य रखने वाबद् आदेशित किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	संयुक्त आयुक्त सहकारिता इन्दौर संभाग, इन्दौर के आदेश क्रमांक द्वारा समानुदेशिती नियुक्त.
1.	जय अम्बे साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर (पंजीकृत पता-311, इंदिरा नगर, इन्दौर)	जे.आर./आय.एन.डी./2509 दिनांक 16-06-2011	क्र./पंजी./18/171, दिनांक 19-01-2018

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित संस्था के संबंध में आज दिनांक 28 जून, 2018 को समानुदेशिती के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है. अतः उल्लेखित संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही लेन-देन एवं समस्त संव्यवहार, कार्यवाही विधि अनुकुल न होकर मेरे हस्ताक्षर के बगैर नहीं किये जावे. अतः समस्त हितबद्ध व्यक्तियों, सदस्यों, जन साधारण को इस सूचना-पत्र से सूचित किया जाता है, कि बिना शासकीय समानुदेशिती की अनुमति/सहमति के किये गये ऐसे व्यवहार प्रभाव शून्य होंगे.

आई. सी. वर्मा,

उप अंकेक्षक एवं समानुदेशिती.

(822)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 20 जून, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम के नियम-57 के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नांकित समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक नियुक्त किये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, बन्जरवाडा	2361/20-09-1991	क्र./परि./2014/698/29-03-2014
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, आंचलखेडा	2297/03-10-1987	क्र./परि./2014/671/29-03-2014
3.	सोहनदीप नागरी साख सह. समिति मर्या., गूजरवाडा	3236/17-06-2015	क्र./परि./2016/928/12-05-2016
4.	भाग्य श्री बीज उत्पादक सह. समिति, ढंडिया	3227/17-06-2015	क्र./परि./2017/1179/05-05-2017
5.	भाग्य श्री साख सह. समिति, चीचली	3187/08-05-2015	क्र./परि./2017/1180/05-05-2017
6.	श्री देव नारायण जैविक बीज सह. समिति, मूढापार	3174/10-04-2015	क्र./परि./2017/1181/05-05-2017
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, शोभापुर	2255/12-10-1984	क्र./परि./2018/731/31-03-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां के नियम-1962 के नियम-57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद में कार्यालयीन दिवसों में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी भी दावेदार द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था लेखा पुस्तकों में लेखा संबंधित समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियों, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो, तो अविजलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण विगत वर्ष के वित्तीय पत्रकों में दर्शायी गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 20 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

डी. एस. दुबे,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(741)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त, 2018-श्रावण 19 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है. तथा राज्य के मण्डला जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 01 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील-मण्डला, नैनपुर, निवास, नारायणगंज, घुघरी (मण्डला) में उक्त मि.मी.के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. **जुताई.**- . .

3. **बोनी.**- जिला बालाघाट में कही-कही रबी,धान रोपाई चालू है.

4. **फसल स्थिति.**- . .

5. **कटाई.**- जिला डिंडोरी मे तूअर जिला शिवनी में चना, मसूर जिला आगर, धार बुरहानपुर में गेहूँ चना एवं जिला अशोकनगर सीधी, उज्जैन, शाजापुर, इन्दौर, राजगढ़, व सीहोर में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

6. **सिंचाई.**- जिला शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, विदिशा, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **चारा.**- राज्य के जिला शिवपुरी में पशुओं के लिये चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, सरसों, चना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .				
2. पोरसा	. .				
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	. .				
6. सबलगढ़	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मेंथी, मटर, मसूर, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .				
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
9. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मटर-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, चना अधिक. गेहूँ, मटर, समान. सरसों, मटर, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त	7. पर्याप्त
1. शिवपुरी	. .		4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	6. संतोषप्रद चारा अपर्याप्त	8. पर्याप्त
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर अधिक. चना, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .				
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनियां, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .				
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) चना, मटर, राई-सरसों, गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .				
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .				
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. लवकुश नगर	. .				
10. धुवारा	. .				
11. बक्सवाहा	. .				
12. चंदला	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, अलसी, मटर, बटरी, अधिक. गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, आलू कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .				
2. पन्ना	. .				
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमारिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, अधिक. मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी कम. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	. .				
2. खुरई	. .				
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4.(1) चना, मसूर, राई-सरसों, अधिक. गेहूँ, मटर, अलसी, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	. .				
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, अलसी, जौ समान. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .				
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर, अधिक. गेहूँ, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .				
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, गोहूँ, चना, मटर, राई-सरसों, मसूर, अलसी, जौ, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, मसूर, गोहूँ, चना-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर समान. तुअर, चना, गोहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू हैं.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गोहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, चना, जौ, मसूर अधिक. अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		गोहूँ कम.		
3. सरई	. .		(2) गोहूँ सुधरी हुई. शेष फसलें समान.		
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) गोहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4.(1) चना, मसूर, अधिक. राई-सरसों समान. गेहूँ, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4.(1) चना अधिक. गेहूँ कम. सवां समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 रबी फसल कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, मसूर, अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ व चना के कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, कम. चना. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4.(1) चना-अधिक. गेहूँ, लहसुन, प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) चना, मूँग, रबी, राई-सरसों, मटर, मसूर, अधिक. गेहूँ कम है. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .				
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) चना, मक्का, अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .				
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोडवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक.कपास, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .				
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) चना, अलसी अधिक, गेहूँ, राई-सरसों, मटर, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .				
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महु (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास, चना, अलसी अधिक. तुअर, गेहूँ, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .				
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .				
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) चना, मटर, अधिक. गेहूँ, तुअर कम. (2) गेहूँ एवं चना फसल समान है	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .				
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना का कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4.(1) गेहूँ, चना अधिक है. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .				
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .				
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक. (2) गेहूँ समान. चना फसल, सुधरी हुई है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .				
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा मटर. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैरागड़	. .				
3. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .				
3. इच्छावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) गेहूँ चना, मटर अधिक. मसूर, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) गेहूँ, सुधरी हुई हैं. शेष फसलें बिगड़ी हुई हैं.		
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ समान. मसूर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) तुअर, गेहूँ, समान. चना, मसूर, राई-सरसों सुधरी, हुई हैं.		
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी).	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	. .			6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	. .		4.(1) मटर, मसूर, चना, अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	. .		गेहूँ कम.		
4. गाडरवारा	. .		(2) . .		
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	7.2		4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	1.1		मटर, तिवड़ा, राई-सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	. .		कम.		
4. निवास	15.6		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
5. नारायणगंज	1.0				
6. घुघरी	1.3				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4.(1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		अलसी, लाख कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	. .		(2) गेहूँ सुधरी हुई हैं चना,	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .		समान हैं.		
4. जुन्नारदेव (जामई)	. .				
5. सांसर	. .				
6. बिछुआ	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. उमरेठ	. .				
10. मोहखेड	. .				
11. हरई	. .				
12. चांद	. .				
13. पाहुणा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. चना, मसूर की कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		6. . .	संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	. .		मटर, मसूर, उड़द, रबी, मूँग,		
4. कवलारी	. .		रबी समान. लाख कम.		
5. लखनादोन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
6. छपारा	. .				
7. घनोरा	. .				
8. घंसोर	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी, धान रोपाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4.(1) धान, रबी समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लांजी	. .		(2) धान समान.	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	. .				
5. वारासिवनी	. .				
6. कटंगी	. .				
7. लालबर्गा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				
11. खैरलांजी	. .				

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.